

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/1/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन/स्थापना बाबद् ।

राज्य शासन सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट अनुसार 24 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने तथा ग्राम ढाबला महेश विकासखंड सीतामऊ जिला मंदसौर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने एवं उक्त संस्थाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	25 प्रा. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	25
2	लेब टेक्नीशियन	4000-6000	25
3	एल.एच.व्ही.	4000-6000	25
4	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	3050-4590	25
5	ड्रेसर	3050-4590	25
6	वार्ड बाय	2550-3200	25
7	स्वीपर	अनुबंध पर	25

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0101 - राज्य आयोजना सामान्य - 7317 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

परिशिष्ट

उपस्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की सूची

क्रमांक.	उपस्वास्थ्य केन्द्र जिसका उन्नयन किया गया	विकासखण्ड / जिला
1	ग्राम धमोखर	मानपुर (उमरिया)
2	ग्राम नौरोजाबाद	करकेली (उमरिया)
3	ग्राम बिजौरी	मानपुर (उमरिया)
4	ग्राम काटकूट	बडवाह (खरगोन)
5	ग्राम मारकी महु	गुना (गुना)
6	ग्राम फतेहगढ़	बमोरी (गुना)
7	ग्राम नोहटा	जबेरा (दमोह)
8	ग्राम रजेगांव	किरनापुर (वालाघाट)
9	ग्राम ढाबला महेश	सीतामऊ (मंदसौर)
10	ग्राम जोडौरी	गंगेव (रीवा)
11	ग्राम खोंखरकलां	कालापीपल (शाजापुर)
12	ग्राम अरनियाकलां	कालापीपल (शाजापुर)
13	ग्राम मोहगाँव	लालबर्गा (बालाघाट)
14	ग्राम जाम	लालबर्गा (बालाघाट)
15	ग्राम बाजना	बक्सवाहा (छतरपुर)
16	ग्राम बेलखाडू	पनागर (जबलपुर)
17	ग्राम सिंगोद	पनागर (जबलपुर)
18	ग्राम भिड़की	शाहपुरा (जबलपुर)
19	ग्राम इंदाना	मझोली (जबलपुर)
20	ग्राम पडवार	मझोली (जबलपुर)
21	ग्राम बोरिया	पाटन (जबलपुर)
22	ग्राम सोनतलाई	हरदा (हरदा)
23	ग्राम छपारा	बरघाट (सिवनी)
24	ग्राम जरुआ	जतारा (टीकमगढ़)
25	ग्राम चंदेरा	जतारा (टीकमगढ़)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/1/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 15 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन ।

राज्य शासन अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट अनुसार 15 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने तथा उक्त संस्थाओं में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	15 प्रा. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	15
2	लेब टेक्नीशियन	4000-6000	15
3	एल.एच.व्ही.	4000-6000	15
4	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	3050-4590	15
5	ड्रेसर	3050-4590	15
6	वार्ड बाय	2550-3200	15
7	स्वीपर	अनुबंध पर	15

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 -अनुसूचित जाति उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. नद
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्ट, म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

उपस्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की सूची

क्रमांक.	उपस्वास्थ्य केन्द्र का जिसका उन्नयन किया गया	विकासखण्ड / जिला
1	ग्राम दातारदांकलां	श्योपुर (श्योपुर)
2	ग्राम अहमदपुर	विदिशा (विदिशा)
3	ग्राम अवंतीपुर बडोदिया	शुजालपुर (शाजापुर)
4	ग्राम कायथा	तराना (उज्जैन)
5	ग्राम जेरठ	पथरिया (दमोह)
6	ग्राम सदगुवा	पथरिया (दमोह)
7	ग्राम रिठौरा	मुरैना (मुरैना)
8	ग्राम सिरसोद	करेरा (शिवपुरी)
9	ग्राम प्रेमसर	श्योपुर (श्योपुर)
10	ग्राम कछौरा	पलेरा (टीकमगढ़)
11	ग्राम राजपुर	अशोक नगर (अशोकनगर)
12	ग्राम उदयपुर	गंजबसौदा (विदिशा)
13	ग्राम बमनोरा	बडा मलहेरा (छतरपुर)
14	ग्राम लुहरगुवां	पृथ्वीपुर (टीकमगढ़)
15	ग्राम इमलिया घाट	दमोह (दमोह)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/1/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 10 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन ।

राज्य शासन आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट अनुसार 10 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	10 प्रा. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	10
2	लेब टेक्नीशियन	4000-6000	10
3	एल.एच.व्ही.	4000-6000	10
4	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	3050-4590	10
5	ड्रेसर	3050-4590	10
6	वार्ड बाय	2550-3200	10
7	स्वीपर	अनुबंध पर	10

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 41 - आदिवासी क्षेत्र 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0103 - आदिवासी उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

भोपाल दिनांक 16/1/08

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
- 2.
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

उपस्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की सूची –

क्रमांक.	उपस्वास्थ्य केन्द्र का जिसका उन्नयन किया गया	विकासखण्ड / जिला
1	ग्राम कवडिया	महेश्वर (खरगोन)
2	ग्राम गेलडूबा	तामिया (छिन्दवाड़ा)
3	ग्राम बोरगांव	बैतूल (बैतूल)
4	ग्राम सकरा	जैथारी (अनूपपुर)
5	ग्राम अंकुरी	गोहपारू (शहडोल)
6	ग्राम चोलना	जैथारी (अनूपपुर)
7	ग्राम बम्हनी	समनापुर (डिंडोरी)
8	ग्राम पिपरिया	निवास (मंडला)
9	ग्राम रुसा	करंजिया (डिंडोरी)
10	ग्राम बाबदड़	सैधवा (बड़वानी)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/05/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 5 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन।

राज्य शासन, सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 5 उप स्वास्थ्य केन्द्रों यथा :- मनहद जिला भिण्ड, तेलीगाँव जिला गुना, अमलाहा जिला सिहोर, बरखेड़ जिला बैतुल एवं मोरखा जिला बैतुल का 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने एवं उक्त संस्थाओं में उन्नयन के फलस्वरूप निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक सृजन करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	5 प्रा. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	5
2	लेब टेक्नीशियन	4000-6000	5
3	एल.एच.व्ही.	4000-6000	5
4	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	3050-4590	5
5	ड्रेसर	3050-4590	5
6	वार्ड बाय	2550-3200	5
7	स्वीपर	अनुबंध पर	5

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0101 - राज्य आयोजना सामान्य - 7317 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. महालेखाकार म.प्र., ग्वालियर ।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर, म.प्र. ।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
7. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/05/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 7 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन।

राज्य शासन, आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 7 उप स्वास्थ्य केन्द्रों यथा :-
उबलड जिला झाबुआ, उमरठ जिला झाबुआ, फूलमाल जिला झाबुआ, सेमावाड़ा जिला
झाबुआ, गुराडिया जिला खरगौन, हेलाबड़ावा जिला खरगौन एवं सतीपुरा जिला धार का 6
बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने एवं उक्त संस्थाओं में उन्नयन के
फलस्वरूप निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक सृजन
करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	7 प्रा. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	7
2	लेब टेक्नीशियन	4000-6000	7
3	एल.एच.व्ही.	4000-6000	7
4	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	3050-4590	7
5	ड्रेसर	3050-4590	7
6	वार्ड बाय	2550-3200	7
7	स्वीपर	अनुबंध पर	7

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 41 - आदिवासी क्षेत्र 2210-चिकित्सा और
लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र -
0103 - आदिवासी उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के
अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/05/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : उप स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन/स्थापना।

राज्य शासन, अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 4 उप स्वास्थ्य केन्द्रों यथा :- रूपाखेड़ी जिला उज्जैन, चिंतामन जवासिया जिला उज्जैन, पंथ पिपलई जिला उज्जैन एवं गोंदल जिला दतिया का 6 बिस्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने एवं ग्राम मांगरोल जिला मुरैना में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने एवं उक्त संस्थाओं में उन्नयन/स्थापना के फलस्वरूप निम्नानुसार अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक सृजन करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	5 प्रा. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	5
2	लेब टेक्नीशियन	4000-6000	5
3	एल.एच.व्ही.	4000-6000	5
4	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	3050-4590	5
5	ड्रेसर	3050-4590	5
6	वार्ड बाय	2550-3200	5
7	स्वीपर	अनुबंध पर	5

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 64 -अनुसूचित जाति उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 24/05/08

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/7/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : ग्राम बांदकपुर जिला दमोह में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ।

राज्य शासन, अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बांदकपुर विकासखंड एवं जिला दमोह में 6 बिस्तर के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने एवं उक्त संस्थाओं में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक सृजन करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	स्वीकृत पद संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	1
2	लेब टेक्नीशियन	4000-6000	1
3	एल.एच.व्ही.	4000-6000	1
4	फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कम स्टोर कीपर	3050-4590	1
5	ड्रेसर	3050-4590	1
6	वार्ड बाय	2550-3200	1
7	स्वीपर	संविदा पर	1

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या 64 -अनुसूचित जाति उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 8.5.2008 में की गई अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जारी की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 14/7/08

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला दमोह, म.प्र. ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, सागर संभाग सागर, म.प्र. ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दमोह, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला दमोह, म.प्र. ।
9. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
10. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 14/7/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ग्राम अंकुरी के स्थान पर ग्राम खन्नोधी में करने बाबद् ।

संदर्भ : स्वीकृति आदेश क्र. एफ 1-16/07/17/मेडि-3, भोपाल, दिनांक 16/1/08 ।

राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त संदर्भित आदेश के द्वारा ग्राम अंकुरी विकासखंड गोहपारु जिला शहडोल में 6 बिस्तर के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने के आदेश को संशोधित करते हुए अब नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ग्राम खन्नौधी विकासखंड गोहपारु जिला शहडोल में किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करता है ।

यह स्वीकृति परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 8.5.2008 में की गई अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जारी की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 14/7/08

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र. ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला शहडोल, म.प्र. ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा, म.प्र. ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शहडोल, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शहडोल, म.प्र. ।
9. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
10. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग